न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा, (RJS–DJ CADRE)**

निर्णय दिनांकः– **13.04.2026**

सेशन प्रकरण संख्याः– **473/2017**

सी.आई.एस. नंबरः– **534/2017**

सी.एन.आर. नंबरः– **RJBR050009162017**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 309/2017, **पुलिस थानाः–अटरू,** जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 341, 323, 325, 504, 308, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा, 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) प्रकरण अधिनियम

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. शंकर उर्फ शंकरलाल पुत्र अमरलाल, उम्र–40 साल, निवासी–दीवाली, पुलिस थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.) 2. दिनेश कुमार पुत्र अमरलाल, उम्र–38 साल, निवासी–दीवाली, पुलिस थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.) 3. भरत उर्फ भरतराज पुत्र अमरलाल, उम्र–30 साल, निवासी–दीवाली, पुलिस थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा

B

अपराध की दिनांक	03.09.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	03.09.2017
आरोप पत्र की दिनांक	11.12.2017
आरोपों की विरचना की दिनांक	28.11.2018
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	28.11.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	13.04.2026
निर्णय की दिनांक	13.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	13.04.2026

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	शंकर उर्फ शंकरलाल	18.09.2017	19.09.2017	341, 323, 325, 504, 308, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(V) Sc/St Act	धारा 341, 323, 325, 504, 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध व शेष धाराओं में दोषमुक्त	पैरा संख्या 51 व 52 के अनुसार	दिनांक 18.09.2017 से 19.09.2017 तक
02.	दिनेश	18.09.2017	19.09.2017	341, 323, 325, 504, 308, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(V) Sc/St Act	धारा 341, 323, 325, 504, 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध व शेष धाराओं में दोषमुक्त	पैरा संख्या 51 व 52 के अनुसार	दिनांक 18.09.2017 से 19.09.2017 तक
03.	भरत उर्फ भरतराज	18.09.2017	19.09.2017	341, 323, 325, 504, 308, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(V) Sc/St Act	धारा 341, 323, 325, 504, 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध व शेष धाराओं में दोषमुक्त	पैरा संख्या 51 व 52 के अनुसार	दिनांक 18.09.2017 से 19.09.2017 तक

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P. W. 01	रामलखन	परिवादी/आहत साक्षी
P. W.02	रामवनवास	पंच साक्षी
P. W.03	भवानीशंकर	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.04	कजोड़ीलाल	आहत/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.05	भागचंद	पंच साक्षी
P. W.06	रमेश	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P. W.07	रामपाल	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

P. W.08	शिशुपाल	पंच साक्षी
P. W.09	डॉ. मनीष कुमार जैन	चिकित्सकीय साक्षी
P. W.10	राकेश कुमार मीण	चिकित्सकीय साक्षी
P. W.11	रणविजय सिंह	अनुसंधान अधिकारी/पुलिस साक्षी
P. W.12	पप्पूलाल	अन्य साक्षी
P. W.13	बिरधीलाल	पंच साक्षी
P. W. 14	रामस्वरूप	पुलिस साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी.02/PW.01	नक्शा मौका
03	प्रदर्श पी.03/PW.01	जाति प्रमाण पत्र
04	प्रदर्श पी.04/PW.04	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. कजोड़ीलाल
05	प्रदर्श पी.05/PW.03	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. भवानीशंकर
06	प्रदर्श पी.06/PW.08	फर्द जब्ती
07	प्रदर्श पी.07/PW.09	चोट प्रतिवेदन
08	प्रदर्श पी.08/PW.09	एक्सरे कवर नोट

09	प्रदर्श पी.09 लगायत 12/PW.09	एक्सरे प्लेट
10	प्रदर्श पी.13 लगायत 15/PW.11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण
11	प्रदर्श पी. 16 से 18/PW.11	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
12	प्रदर्श पी.19/PW.12	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. पप्पूलाल
13	पुनः प्रदर्श पी.19/PW.14	चाक एफ.आई.आर

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.09.2017 को परिवादी रामलखन द्वारा केम्प सी.एच.सी. अटरू में श्री रामस्वरूप नागर ए.एस.आई. थाना अटरू को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 03.09.2017 को समय 08 बजे सुबह की बात है। वह बरड़िया में भैंस चरा रहा था। उसके पिता कजोड़लाल घर से पैदल–पैदल उसके पास आ रहे थे कि मेघवाल बस्ती से मैन रोड़ पर ज्योंहि आये तो पीछे से ट्रेक्टर लेकर शंकरलाल, दिनेश व भरत आये। ट्रेक्टर को भरत चला रहा था। भरत ने उसके पिताजी के पीछे से मैन रोड़ पर टक्कर मार दी तो वह सामने ही था, भाग कर आया। इतने में भरत ने ट्रेक्टर से नीचे उतर कर उसके पिताजी के नीचे गिरे हुए के कूटिया की सिर में मारी तथा शंकरलाल ने उनके पाईप की पैरों में मारी व उठ कर भागने लगे तो इन लोगों ने उन्हें रोक कर दिनेश ने हाथ व सिर पर लकड़ी की मारी। फिर वह चिल्लाया और उसी समय गांव

वाले भी, जिनमें भवानीशंकर, बूदेश व पप्पू मोग्या आये और उन्होंने घटना देखी व बीच–बचाव करवाया,.....इत्यादि।

2– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अटरू द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **309/2017** अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 11.12.2017 को अभियुक्तगण शंकर उर्फ शंकरलाल, दिनेश कुमार व भरत उर्फ भरतराज के विरूद्ध **धारा 341, 323, 325, 504, 308, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा **धारा 341, 323, 325, 504, 308 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– साक्ष्य अभियोजन समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

6– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्तगण द्वारा आहत कजोड़ीलाल का सदोष अवरोध कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व उसके शरीर में अस्थि भंग कर स्वेच्छया गंभीर उपहतियां कारित की?

(ii) आया कि अभियुक्तगण द्वारा आहत कजोड़ीलाल को लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौंच कर साशय अपमानित किया?

(iii) आया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत कजोड़ीलाल के साथ मारपीट कर उसके मार्मिक अंग सिर में इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में चोट कारित की कि यदि उक्त चोट से आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते?

(iv) आया कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य होना जानते हुए अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित धारा 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया?

(v) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

8– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध पूर्णतः प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

9– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रकरण में गवाहान के बयानों में अत्यधिक अंतर और विरोधाभास है। घटना आम रोड़ की बतायी गयी है, लेकिन किसी स्वतंत्र गवाह ने घटना देखने के तथ्य की पुष्टि नहीं की है। किस अभियुक्त द्वारा आहत के किस हथियार से चोटें कारित की गयी, इस संबंध में तहरीरी रिपोर्ट एवं आहत के कथनो में गंभीर विरोधाभास है। आहत के मार्मिक अंग पर कोई गंभीर चोट कारित नहीं हुई है, जिससे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण का आशय आहत की हत्या किये जाने का रहा हो। अभियुक्तगण से जो हथियार बरामद होना बताये हैं, वे कृषि उपकरणों की श्रेणी में आते हैं और आमतौर पर काश्तकारों के पास उपलब्ध रहते हैं। स्वतंत्र गवाहों ने बरामदगी की पुष्टि नहीं की है। परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में अभियुक्त भरत द्वारा धारदार कूटिया से आहत के चोटें कारित करना बताया है, लेकिन आहत के धारदार हथियार से चोट आना चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। परिवादी ने ट्रेक्टर से उसके पिता के टक्कर मारना व चोटें कारित होना बताया है, लेकिन आहत ने ट्रेक्टर से टक्कर मारने का कोई कथन नहीं किया है। अभियुक्तगण को रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। पत्रावली पर ऐसी कोई

साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11– प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड. 01 रामलखन जो प्रकरण में स्वयं परिवादी है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि करीब पांच–छः साल पहले की बात है। उसके पिताजी कजोड पैदल ही खेत पर जा रहे थे। रोड पर मेघवाल बस्ती में पहुचे तो शंकर, दिनेश व भरत ट्रेक्टर से आ रहे थे। ट्रेक्टर भरत चला रहा था। उसके पिताजी के पीछे से ट्रेक्टर से टक्कर मारी। इन्होंने नीचे उतरकर उसके पिताजी के साथ मारपीट की। **कूटिया भरत के पास था व पाइप शंकर के पास था। जिससे इन्होने उसके पिताजी के साथ मारपीट की।** उसके पिताजी के हाथ पैर पर मारी थी। इन्होंने गालियां निकाली थी। उक्त गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01, नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा स्वयं का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.03 व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी.03 ए होने का कथन किया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **जहां भैंसे चर रही थी, घटनास्थल से वहां की दूरी 150 मीटर थी। घटना होने के बाद पप्पू व भवानीशंकर आये थे।** ट्रेक्टर से तीन–चार चोटें लगने के बाद मारपीट से तीन–चार चोटें और लगी थी। मुल्जिम व हमारे बीच कोई दुशमनी नहीं थी। कूटिया से धार की तरफ से उसके पिताजी के दो बार मारी थी।

12– पी.ड. 02 रामवनवास ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किए हैं कि पुलिस ने उसे बुला कर साईन करवाया था। प्रदर्श पी.02 पर दस्तखत करते समय तारीख लिखी हुई थी बाकी कागज खाली था।

13– पी.ड. 03 भवानीशंकर जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 02.09.2017 को सुबह 8–9 बजे करीब गुजरी के ढोल के पास वह खेत से आ रहा था। कजोड़ीलाल रोड़ पर पड़ा था, जिसके खून निकल रहा था, जो बेहोश था और मौके पर ही मुल्जिमान शंकरलाल, दिनेश, भरत भी खड़े हुए थे, जिनके हाथों में लोहे के पाईप और कूटिया थे। **घटना के करीब 8–10 दिन पहले रामदेवजी के दोज पर ढोल निकले थे, उस यात्रा में लड़कियां नाच रही थी, भरत उनका वीडियो बना रहा था तो कजोड़ीलाल ने लड़कियों के वीडियो बनाने की मना की, इसी बात को लेकर उस दिन भी इनकी कहासुनी हुई थी और इसी बात की रंजिश को लेकर कजोड़ीलाल के साथ मुल्जिमान ने मारपीट की।** जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह जब मौके

पर पहुंचा तो कजोड़ीलाल बेहोश अवस्था में था। **यह कहना सही है कि मुल्जिमान शंकरलाल, दिनेश व भरत को कजोड़ीलाल के साथ मारपीट करते नहीं देखा।**

14– पी.ड. 04 कजोड़ीलाल जो स्वयं आहत है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह गांव से भैसों को लेकर गूजरी के ढोल की तरफ चराने के लिए जा रहा था। उसके पीछे शंकरलाल, दिनेश, भरत तीनों ट्रेक्टर लेकर पीछे–पीछे आये। ट्रेक्टर रोक कर तीनों ने उसे जातिसूचक शब्द कहे और मां–बहिन की गालियां दी। **शंकरलाल ने उसके खूंटिया की ललाट पर मारी। चोट लगने के बाद वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। घटना के करीब एक महीने पहले रामदेवजी के विमान यात्रा में लड़कियां नाच रही थी, जिनके वीडियो भरत बना रहा था। उसने उनसे वीडियो बनाने की मना की, इसी बात की रंजिश को लेकर मुल्जिमान ने उसके साथ मारपीट की।** जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि विमान निकलने पर भरत को फोटो खींचने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की थी। **घटना के वक्त वह अकेला था। उसके साथ मारपीट होते हुए किसी ने नहीं देखा। उसके सिर में चोट लगते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा।**

15– पी.ड. 05 भागचंद ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी.02 पर पुलिस ने क्या लिखा था, पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं सुनाया।

16– पी.ड. 06 रमेश जो घटना के तत्काल पश्चात् मौके पर पहुंचना बताया है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि आज से करीब 6–7 साल पहले वह घर पर ही था, फिर उसने सुना कि कजोड़ीलाल के साथ मारपीट कर दी, जो गुजरी के ढोल के पास पड़ा हुआ है। **उक्त सूचना पर वह, लखन और रामपाल तीनो मौके पर गये तो वहां पर कजोड़ीलाल पड़ा हुआ था, जिसके खून निकल रहा था और वह लहूलुहान हो रहा था।** जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **यह सही है कि उसने घटनास्थल पर मारपीट होते नहीं देखी थी।**

17– पी.ड. 07 रामपाल ने अपने बयानों में कथन किया है कि घटना गूजरी के ढोल के यहां की है। गुजरी के ढोल पर चिल्लाने की आवाज आयी थी। **वह, उसका लड़का और उसका भाई लेखराज तीनों भाग कर मौके पर गये तो देखा कि दिनेश, शंकर और भरत मारपीट करके ट्रेक्टर ले जाते हुए नजर आये।** मौके पर कजोड़ पड़ा हुआ था जो लहूलुहान हो रहा था। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **उसने कजोड़ के साथ मारपीट होते हुए नहीं देखा।**

18– पी.ड. 08 शिशुपाल ने अपने बयानों में मुल्जिमान शंकर उर्फ शिवशंकर, भरत उर्फ भरतराज, दिनेश कुमार से उनके घर से लकड़ी, कूटिया आदि जर्ये फर्द प्रदर्श पी.06 जप्त करना और उस पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है

कि **उसके सामने पुलिस ने तीन हथियार जप्त किये थे।** हथियारों में एक लकड़ी, एक धारिया था, एक कूटिया था।

19– पी.ड. 09 डॉ. मनीष कुमार जैन ने आहत कजोड़लाल की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.07 बनाना बताया है और उसमें अंकित चोट संख्या 01 फटी हुई चोट 01 4X2 cm सिर में ऑक्सीपिटल भाग पर, चोट संख्या 02 फटी हुई चोट 3X5 cm नाक के दायीं तरफ, चोट संख्या 03 दायें हाथ पर सूजन एवं चोट संख्या 04 दायें पैर पर सूजन होना, **जिनमें से चोट संख्या 01 व 04 साधारण प्रकृति की होना एवं चोट संख्या 02 व 03 गंभीर प्रकृति की होना बतायी हैं तथा सभी चोटें कुंद हथियार से कारित होने का कथन किया है।** जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी.07 की चोट नंबर 2 और 3 सख्त धरातल पर गिर जाने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह सही है कि एम.एल.सी. करते वक्त चोट नंबर 02 और 03 उसे गंभीर प्रकृति की नहीं लगी थी।

20– पी.ड. 10 राकेश कुमार मीणा रेडियोग्राफर ने डॉ. मनीष जैन की उपस्थिति एवं निर्देशन में आहत कजोड़लाल के शरीर का एक्सरे करना बताया है एवं एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी.08 तथा एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.09 लगायत 12 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि मजरूब कजोड़लाल 14.09.2017 से पहले एक्सरे करवाने के लिए उसके पास सी.एच.सी. अटरू नहीं आया।

21– पी.ड. 11 रणविजय सिंह प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी है, जिसने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 बनाना, गवाहान के बयान लेखबद्ध करना, मजरूब की एम.एल.सी. लेकर शामिल पत्रावली करना बताया है। उक्त गवाह ने अभियुक्तगण की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.16, 17 व 18 लेखबद्ध कर **मुताबिक सूचना मुल्जिम शंकरलाल उर्फ शिवशंकर से एक लकड़ी, मुल्जिम दिनेश से एक पाईप एवं मुल्जिम भरत उर्फ भरतराज से एक कूटिया जर्ये फर्द प्रदर्श पी.06 जब्त करने का कथन किया है** तथा न्यायालय में प्रस्तुत लकड़ी की आर्टिकल–01, लोहे के पाईप की आर्टिकल 02 एवं कूटिया की आर्टिकल 03 के रूप में पहचान की है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी.02 नक्शा मौका में घटना का समय व दिनांक का अंकन नहीं है। हथियार जिस कमरे से बरामद हुआ था, उसके सांकल लगी हुई थी, ताला लगा हुआ नहीं था। यह सही है कि जो हथियार मुल्जिमान से जब्त किये थे, वो गांव में खेती करने वाले लोगों के पास आम मिल जाते हैं।

22– पी.ड. 12 पप्पूलाल घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जिसने अपने सामने कोई घटना नहीं होना बताया है। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने विशिष्ट लोक

अभियोजक द्वारा जिरह करने पर पुलिस बयान प्रदर्श पी.19 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

23– पी.ड. 13 बिरधीलाल ने फर्द बरमादगी आलाए जरब प्रदर्श पी.06 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है एवं कथन किया है कि कब करवाए, कहां करवाए यह उसकी जानकारी में नहीं है। अभियुक्त की ओर से जिरह करने पर इस गवाह ने कथन किया है कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई।

24– पी.ड. 14 रामस्वरूप ने सी.एच.सी. अटरू से आहत कजोड़मल के भर्ती होने की सूचना मिलने पर सी.एच.सी. अटरू पहुंचने पर मजरूब कजोड़मल का भर्ती मिलना और रामलखन द्वारा उसे एक तहरीरी रिपोर्ट देने पर वापिसी थाने पर मुकदमा दर्ज करवाना बताया है तथा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 व चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.19 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है।

25– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (i) व (ii)–</u>

26– सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत कजोड़लाल को रास्ते में रोक कर उसका सदोष अवरोध कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित एवं आहत कजोड़लाल को इस आशय से गाली–गलौंच कर अपमानित किया ताकि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करे। इस संबंध में परिवादी रामलखन द्वारा जो लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 दर्ज करायी गयी है, उसमें अभियुक्तगण शंकरलाल, दिनेश, भरत का ट्रेक्टर लेकर आना तथा उसके पिता के पीछे से टक्कर मारना और बाद में ट्रेक्टर से नीचे उतर कर भरत द्वारा कूटिया की सिर पर मारना, शंकरलाल द्वारा पाईप की व दिनेश द्वारा हाथ व सिर में लकड़ी की मारना बताया है। उक्त परिवादी रामलखन पी.ड. 01 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में भी अभियुक्त भरत के पास कूटिया, शंकर के पास पाईप होना बताया है और ट्रेक्टर से नीचे उतर कर तीनों मुल्जिमान द्वारा उसके पिता के साथ मारपीट किये जाने का कथन किया है।

27– आहत पी.ड. 04 कजोड़ीलाल ने अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ ट्रेक्टर से उतर कर मारपीट करना बताया है एवं अभियुक्तगण द्वारा मां–बहिन की गालियां देने का कथन किया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 03 भवानीशंकर ने अपनी जिरह में मुल्जिमान

द्वारा आहत के साथ मारपीट करते नहीं देखना बताया है, लेकिन उक्त गवाह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो कजोड़लाल बेहोश अवस्था में था। इस प्रकार उक्त गवाह के कथनों से अभियोजन कहानी की इस हद तक पुष्टि हो रही है कि लड़ाई–झगड़े के दौरान आहत कजोड़लाल बेहोश होकर मौके पर गिरा हुआ था। पी.ड. 06 रमेश ने भी अपने बयानों में घटनास्थल पर पहुंचने पर वहां कजोड़लाल का पड़ा होना और उसके खून निकलना बताया है। पी.ड. 07 रामपाल भी मारपीट की घटना नहीं देखना बता रहा है, लेकिन घटना स्थल पर पहुंचा तो दिनेश, शंकर और भरत का मारपीट करके ट्रेक्टर ले जाते हुए नजर आना बताया है। इस प्रकार उक्त प्रत्यक्षदर्शी गवाहान की साक्ष्य से इस हद तक अभियोजन कहानी की पुष्टि हो रही है कि अभियुक्तगण मारपीट कर मौके से भाग रहे थे और आहत कजोड़ीलाल मौके पर लहू–लुहान अवस्था में पड़ा हुआ था।

28– पी.ड. 09 डॉ. मनीष कुमार जैन ने आहत की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.07 बनाना बताया है, जिसमें अंकित चोट संख्या 01 व 04 साधारण प्रकृति की तथा चोट संख्या 02 व 03 गंभीर प्रकृति की होना और सभी चोटें कुंद हथियार से कारित होना बताया है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से आहत के कथनों की पुष्टि हो रही है। पी.ड. 10 राकेश कुमार ने आहत की चोटों का एक्सरे करना तथा एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी.08 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी.09 लगायत 12 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 11 रणविजय सिंह ने अभियुक्तगण की सूचना के अनुसार अभियुक्त शंकरलाल से एक लकड़ी, अभियुक्त दिनेश से एक पाईप तथा अभियुक्त भरत से एक कूटिया बरामद करना बताया है। अन्वेषण अधिकारी से ऐसी कोई जिरह नहीं हुई है, जिससे बरामदगी के संबंध मे कोई गंभीर विरोधाभास नजर आता हो। बरामदगी के गवाह पी.ड. 08 शिशुपाल ने भी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी.06 पर अपने हस्ताक्षर होना तथा अपने सामने पुलिस द्वारा तीन हथियार जप्त करना बताया है। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से भी बरामदगी की पुष्टि हो रही है।

29– अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रहा है कि प्रकरण में परिवादी रामलखन ने अभियुक्तगण द्वारा उसके पिता को ट्रेक्टर से टक्कर मारना बताया है जबकि स्वयं आहत ऐसा कोई कथन नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने कूटिया की धार की तरफ से उसके पिता के मारना बताया है, लेकिन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो रही है। उक्त तर्कों के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि पी.ड. 04 कजोड़लाल ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण शंकरलाल, दिनेश व भरत का मौके पर उपस्थित होना बताया है तथा उक्त तीनों अभियुक्तगण का ट्रेक्टर से उसके पीछे से आना और फिर ट्रेक्टर से उतर कर मारपीट करना बताया है। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह भी

स्पष्ट किया है कि घटना के वक्त वह अकेला था। उसके साथ मारपीट होते हुए किसी ने नहीं देखी। अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 03 भवानीशंकर, पी.ड. 06 रमेश व पी.ड. 07 रामपाल के कथनों से भी यह प्रकट हो रहा है कि वे घटना के तत्काल पश्चात् मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उनके द्वारा स्वयं मारपीट होते हुए नहीं देखी गयी, जिससे भी परिवादी के इन कथनों की पुष्टि हो रही है कि घटना के समय वह अकेला था।

30– पी.ड. 01 रामलखन जो स्वयं आहत का पुत्र है, के द्वारा घटना के समय लगभग 150 मीटर की दूरी पर भैंसे चराना बताया है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम को देखा गया हो, यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। उक्त गवाह झगड़े की आवाज सुन कर मौके पर पहुंचा है। उक्त रामलखन ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है तथा आहत उसका पिता होने के कारण यदि उसके द्वारा घटना को बढ़ा–चढ़ा कर बताते हुए अभियुक्तगण द्वारा उसके पिताजी के ट्रेक्टर से टक्कर मार देने या कूटिया की धार की तरफ से मारने का कथन कर दिया है तो केवल इसी आधार पर ही आहत कजोड़लाल के कथनों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। पी.ड. 04 कजोड़लाल ने अपनी जिरह में यह भी स्पष्ट किया है कि विमान यात्रा में जो लड़कियां नाच रही थीं, उनके फोटो खींचने से मना करने के कारण उसके साथ मारपीट की थी। इस प्रकार उक्त आहत के कथनों से अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने का मोटिव भी प्रकट हो रहा है। पी.ड. 03 भवानीशंकर ने भी अपने बयानों में विमान यात्रा में फोटो खींचने से मना करने के कारण ही मुल्जिमान द्वारा मारपीट करना बताया है। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों के कथनों से यह स्पष्ट हो रहा है कि घटना से कुछ समय पहले विमान यात्रा के दौरान ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसकी परिणिती के रूप में यह घटना कारित हुई है। जहां दोनों पक्षों में इस विमान यात्रा वाली घटना के अलावा अन्य विवाद नहीं है तो ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा अभियुक्तगण को झूंठा फंसाये जाने का कोई कारण भी नजर नहीं आ रहा है।

31– अभियुक्तगण के अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क रहा है कि घटना आम रोड़ की बतायी गयी है, लेकिन किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा घटना देखा जाना प्रकट नहीं हो रहा है जो पूर्णतः अस्वाभाविक है, किंतु उक्त तर्क के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटनास्थल कुन्जेड़–अटरू रोड़ से ग्राम दीवाली मे जाने वाला रास्ता है। नक्शा मौका के अनुसार ग्राम दीवाली की आवादी घटनास्थल से दूर होना प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का वहां मौजूद नहीं होना और उसके द्वारा घटना नहीं देखा जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। पी.ड. 04 कजोड़ीलाल ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से तीनों मुल्जिमान का मौके पर उपस्थित होना बताया है और उनके द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ मारपीट किये जाने का

कथन किया है, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है। आहत कजोड़ीलाल ने अपने बयानों में भी कथन किया है कि मारपीट के समय वह अकेला था। प्रत्यक्षदर्शी गवाहान द्वारा स्वयं मारपीट की घटना देखना नहीं बताया है, लेकिन मौके पर पहुंचने पर उन्होंने आहत कजोड़ीलाल का बेहोश अवस्था में मिलना बताया है। पी.ड. 07 रामपाल ने भी अभियुक्तगण दिनेश, शंकर और भरत का मारपीट कर ट्रेक्टर ले जाते हुए नजर आना बताया है। ऐसी स्थिति में घटना के समय गवाहान के मौके पर मौजूद नहीं होने के आधार पर अभियोजन कहानी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

32– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार जहां पी.ड. 04 कजोड़ीलाल ने अपने बयानों में अभियुक्तगण दिनेश, शंकरलाल व भरत द्वारा रास्ते में उसे रोक लेना तथा ट्रेक्टर से नीचे उतर कर उसके साथ गाली–गलौंच करते हुए मारपीट करना बताया है, जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण की सूचना के अनुसार घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किये गये हैं। परिवादी व अन्य गवाहान के मौके पर तुरंत पहुंचने पर आहत कजोड़ीलाल का मौके पर बेहोश अवस्था में मिलना और उसके खून निकल रहा होना प्रकट हो रहा है। पी.ड. 07 रामपाल ने मुल्जिमान को मौके से ट्रेक्टर ले जाते हुए देखना बताया है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह संदेह से परे प्रमाणित हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत कजोड़लाल को रास्ते में रोक कर उसका सदोष अवरोध कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की और उसे लोकशांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गाली–गलौंच कर अपमानित किया। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।**

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (iii)–</u>

33– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है, इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत कजोड़ीलाल के साथ मारपीट कर इस आशय, ज्ञन तथा परिस्थितियों में चोटें कारित की कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस संबंध में आहत पी.ड. 04 कजोड़ीलाल ने अभियुक्तगण शंकरलाल, दिनेश व भरत का ट्रेक्टर लेकर उसके पीछे–पीछे आना और ट्रेक्टर रोक कर अभियुक्तगण द्वारा गाली–गलौंच करना व कूटिया की ललाट पर मारना बताया है। उक्त गवाह ने अपने बयानों में यह भी कथन किया है कि चोट लगने के बाद वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था। उक्त गवाह ने घटना के समय स्वयं का अकेला होना

बताया है। इस प्रकार घटना के समय बीच–बचाव करने वाला कोई मौजूद होना प्रकट नहीं हो रहा है। पी.ड. 01 रामलखन, पी.ड. 03 भवानीशंकर, पी.ड. 06 रमेश, पी.ड. 07 रामपाल के कथनों से भी उनका घटना के बाद ही मौके पर पहुंचना प्रकट हो रहा है।

34– मेडीकल ज्यूरिष्ट पी.ड. 09 डॉ. मनीष कुमार जैन ने आहत कजोड़लाल की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.07 बनाना और उसमें अंकित सभी चोटें कुंद हथियार से कारित होना बताया है तथा चोट संख्या 02 व 03 गंभीर प्रकृति की व चोट संख्या 01 व 04 साधारण प्रकृति की होने का कथन किया है। इस प्रकार आहत कजोड़ीलाल के चोट प्रतिवेदन में उल्लेखित चोट संख्या 01 जो Lacerated wound 4X2 cm की मार्मिक अंग सिर पर कारित हुई है, जो साधारण प्रकृति की है। अन्य सभी चोटें नाक, हाथ व पैर पर ही कारित होना प्रकट हो रहा है।

35– इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि आहत के मार्मिक अंग पर केवल एक चोट कारित हुई है जो साधारण प्रकृति की कारित होना बतायी है। यहां पर यह विचारणीय तथ्य है कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण का तीन की संख्या में होना प्रकट हुआ है तथा स्वयं आहत पी.ड. 04 कजोड़ीलाल उसके प्रथम चोट लगने के बाद बेहोश होकर नीचे गिर जाना बता रहा है तथा मौके पर बीच–बचाव करने वाला भी कोई नहीं था तो अभियुक्तगण के पास इस बात का पर्याप्त अवसर था कि वह आहत के साथ मारपीट कर और अधिक चोटें कारित करते, लेकिन आहत के मार्मिक अंग पर केवल एक ही चोट कारित हुई है और वह भी साधारण प्रकृति की होना प्रकट हो रहा है। अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 11 रणविजय सिंह ने अभियुकत भरत उर्फ भरतराज की सूचना के अनुसार एक कूटिया बरामद करना बताया है तथा अन्य दो मुल्जिमान शंकरलाल से एक लकड़ी व दिनेश माली से एक लोहे का पाईप भी बरामद किया गया है, लेकिन आहत के कोई चोट धारदार हथियार से कारित होना प्रकट नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त जहां सभी अभियुक्तगण हथियारों से लैस थे तो उनके द्वारा आहत के मार्मिक अंग पर और ज्यादा चोटें कारित की जा सकती थी या उसके मार्मिक अंग पर कोई गंभीर उपहति कारित की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कोई तथ्य साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है।

36– **धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप के लिए अभियुक्तगण का आशय व ज्ञान महत्वपूर्ण है। साथ ही उन परिस्थितियों पर भी गौर किया जाना आवश्यक है, जिन परिस्थितियों में घटना कारित हुई है। इस संबंध में आहत के कारित चोटों की प्रकृति के साथ–साथ न्यायालय को यह भी देखना होता है कि अपराध कारित करने के लिए किस प्रकार के हथियार काम में लिये गये। चोट कारित करते समय आरोपित बल की मात्रा क्या थी, घटना अकस्मात थी या पूर्व विचारित थी। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही

यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अभियुक्तगण का आशय क्या था। साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि स्वयं आहत पी.ड. 04 कजोड़ीलाल ने रोड़ पर जाते समय अभियुक्तगण के रास्ते पर मिल जाने पर लड़ाई–झगड़ा होना बताया है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा आहत कजोड़ीलाल के साथ मारपीट करने की कोई पूर्व योजना होना प्रकट नहीं हो रहा है। ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार मेडीकल ज्यूरिष्ट पी.ड. 09 डॉ. मनीष कुमार जैन की साक्ष्य एवं आहत के चोट प्रतिवेदन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत कजोड़ीलाल के इस प्रकार की कोई चोट कारित की गयी हो जो उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। आहत के मार्मिक अंग सिर पर एक ही चोट कारित हुई है, जो साधारण प्रकृति की है। इस प्रकार आहत के मार्मिक अंग पर वार की पुनरावृत्ति किया जाना और धारदार हथियार से मारपीट किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है।

37– इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **बस्तीराम व अन्य बनाम स्टेट ओफ राजस्थान, 2007 क्रि.ला.ज. 3359** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

10. Section 308 IPC is 'per verba et literis', the same as Section 307 IPC, with the only difference that it relates to an attempt to commit culpable homicide whereas Section 307 relates to an attempt to commit murder. Punishment under Section 308 IPC as provided is consequently also less. In other respects the constituting element of the two sections are the same.

38– इसी प्रकार न्यायिक निर्णय **हरिकिशन व अन्य बनाम सुखबीर सिंह व अन्य 1988 एआईआर 2127** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

Under s.307 IPC what the Court has to see is, whether the act irrespective of its result, was done with the intention or knowledge and under circumstances mentioned in that section. The intention or knowledge or the accused must be such as is necessary constitute' murder. Without this ingredient being established, there can be no offence of "attempt to murder". Under s. 307 the intention precedes the act attributed to accused. Therefore, the intention is to be gathered from all circumstances, and not merely from the consequences that ensue. The nature of the weapon used, manner in which it is used. motive for the crime, severity of the blow, the part of the body where the injury is inflicted are some of the factors that

may be taken into consideration it, determine the intention. In this case, two parties in the course of a fight inflicted on each other injuries both serious and minor. The accused though armed with ballam never used the sharp edge of it. They used only the blunt side of it despite they being attacked by the other side. They suffered injuries but not provoked or tempted to use the cutting edge of the weapon. It is very very significant. It seems to us that they had no intention to commit murder. They had no motive either. The fight as the High Court has observed, might have been a sudden flare up. Where the fight is accidental owing to a sudden quarrel, the conviction under s. 307 is generally not called for.

39– इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत **Bishan Singh & Anr vs The State SLP (Cr.) 2273/2007 निर्णय दिनांक 09.10.2007** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है किः–

11. Before an accused can be held to be guilty under Section 308 IPC, it was necessary to arrive at a finding that the ingredients thereof, namely, requisite intention or knowledge was existing. There cannot be any doubt whatsoever that such an intention or knowledge on the part of the accused to cause culpable homicide is required to be proved. Six persons allegedly accosted the injured. They had previous enmity. Although overt–act had been attributed against each of the accused who were having lahtis, only seven injuries had been caused and out of them only one of them was grievous, being a fracture on the arm, which was not the vital part of the body.

12. The accused, therefore, in our opinion, could not be said to have committed any offence under Section 308 IPC. The same would fall under Section 323 and 325 thereof.

40– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण की साक्ष्य का विवेचन करें तो यह स्पष्ट है कि आहत के मार्मिक अंग सिर पर केवल एक ही चोट कारित हुई है जो साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना प्रकट हो रहा है। अभियुक्तगण 03 की संख्या में मौके पर मौजूद थे और वे हथियारों से भी लैस थे तथा घटनास्थल पर बीच–बचाव करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन अभियुक्तगण द्वारा

आहत कजोड़ीलाल के मार्मिक अंग सिर पर वार की पुनरावृत्ति करते हुए और अधिक चोटे कारित किया जाना या मार्मिक अंग पर कोई गंभीर उपहति कारित किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। अभियुक्त भरत के पास धारदार हथियार कूटिया होना प्रकट हुआ है, लेकिन उसके द्वारा धारदार हथियार से कोई चोट कारित करना भी अभियोजन साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण ने इस आशय, ज्ञान व परस्थितियों में आहत कजोड़ीलाल के साथ मारपीट कर चोटें कारित की हों कि उसका आपराधिक मानव वध किया जा सके। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (iv)–</u>

41– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध **धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में परिवादी रामलखन का जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.03 के रूप में पत्रावली प्रदर्शित करवाया गया है, जिससे परिवादी का अनुसूचित जाति का सदस्य होना प्रकट हो रहा है। किंतु स्वयं आहत पी.ड. 04 कजोड़ीलाल ने अपने बयानों में यह स्पष्ट कथन किया है कि घटना के करीब एक महीने पहले रामदेवजी के विमान यात्रा में लड़कियां नाच रही थी, जिनके वीडियो भरत बना रहा था। उसने उनसे वीडियो बनाने की मना की, इसी बात की रंजिश को लेकर मुल्जिमान ने उसके साथ मारपीट की। इस गवाह ने अपनी जिरह में भी इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कथन किया है कि विमान निकलने पर भरत को फोटो खींचने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की थी। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 03 भवानीशंकर ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि घटना के करीब 8–10 दिन पहले रामदेवजी के दोज पर डोल निकले थे, उस यात्रा में लड़कियां नाच रही थी, भरत उनका वीडियो बना रहा था तो कजोड़ीलाल ने लड़कियों के वीडियो बनाने की मना की। इसी बात को लेकर उस दिन भी इनकी कहासुनी हुई थी और इसी बात की रंजिश को लेकर कजोड़ीलाल के साथ मुल्जिमान ने मारपीट की। इस प्रकार उक्त गवाहों के बयानों से घटना से पूर्व आहत कजोड़ीलाल द्वारा अभियुक्त भरत को लड़कियों की वीडियो बनाने से मना करने पर उनके मध्य कहासुनी या विवाद होना और उसी विवाद या रंजिश के अनुक्रम में अभियुक्तगण द्वारा आहत कजोड़ीलाल को रास्ते में रोक कर उसके साथ मारपीट करना बताया है। इस प्रकार जहां दोनों पक्षों में पूर्व में वीडियो बनाने को लेकर कहासुनी या रंजिश हुई थी और उसी अनुक्रम में आहत कजोड़ीलाल के साथ मारपीट किया जाना प्रकट हो रहा है तो यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी की जाति को जानते हुए इसी आधार पर मारपीट की हो।

42– इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Smt. Chhaya And 3 Others vs State Of U.P. And Another Cri. Appeal No. 5748/2023 निर्णय दिनांक 11.08.2023** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

So far as the offence under Section 3(2) (va) of SC/ST Act is concerned, it is true that as per the language of the Act this section would come into light if the victim/ first informant belongs to SC/ST community only and the accused/appellant knowingly that the victim belongs to SC/ST community committed offence with this intent only. Though, as per the version of the FIR, the appellants are the residents of the same locality where the first informant resides but as per the judgment Hitesh Verma Vs. State of Uttarakhand and Anr., AIR 2020 Supreme Court 5584, the Apex Court opined that any offence under Section 3(2) (va) of SC/ST Act would be made out only if the offence is caused because of being the first informant or the victim of scheduled caste or scheduled tribe community only but the version of FIR clearly speaks that the incident took place because of enmity of the incident dated 05.10.2021, thus, the incident cannot be said to be taken place because of the first informant or the victim belonging to a scheduled caste or scheduled caste community only.

43– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में जहां घटना पूर्व रंजिश के कारण हुई थी तो हितेश वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में धारा **3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम** के अंतर्गत अपराध गठित होना नहीं माना गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण की साक्ष्य का विवेचन करें तो यह स्पष्ट है कि लड़कियों का वीडियो बनाने से आहत कजोड़ीलाल द्वारा मना करने पर आहत एवं अभियुक्त भरत के मध्य विवाद हुआ था और उसी विवाद या रंजिश के चलते अभियुक्तगण ने आहत कजोड़ीलाल के साथ मारपीट की थी। इस तथ्य की पुष्टि प्रत्यक्षदर्शी गवाह पी.ड. 03 भवानीशंकर के बयानों से भी हो रही है। इस प्रकार जहां दोनों पक्षों में पूर्व में कहासुनी या विवाद हुआ था और उसी विवाद के अनुक्रम में आहत कजोड़ीलाल के साथ मारपीट की गयी थी तो यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत कजोड़ीलाल के साथ जाति के आधार पर मारपीट की हो। अतः उक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी की जाति को जानते हुए, इसी आधार पर अधिनियम की अनुसूची में आने वाला धारा 341, 323, 325 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया गया हो। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा**

3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

44– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (i) व (ii) को अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है, किंतु विचारणीय बिन्दु संख्या (iii) व (iv) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्तगण शंकर उर्फ शंकरलाल, दिनेश कुमार व भरत उर्फ भरतराज को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाना तथा उक्त अभियुक्तगण को **धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के लिए दोषसिद्ध** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

45– अतः अभियुक्तगण 1. शंकर उर्फ शंकरलाल पुत्र अमरलाल, उम्र–40 साल, निवासी–दीवाली, पुलिस थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.), 2. दिनेश कुमार पुत्र अमरलाल, उम्र–38 साल, निवासी–दीवाली, पुलिस थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.), 3. भरत उर्फ भरतराज पुत्र अमरलाल, उम्र–30 साल, निवासी–दीवाली, पुलिस थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोपों के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है तथा उक्त सभी अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत **धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।** सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना जाएगा।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

46– सजा के बिन्दु पर सुना गया।

47– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, उनके विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। इस बाबत अभियुक्तगण की ओर से पृथक–पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं कि उन्हें पूर्व में किसी प्रकरण में

दोषसिद्ध नहीं किया है और न ही उन्होंने किसी मामले में परिवीक्षा का लाभ प्राप्त किया है। अभियुक्तगण प्रकरण में 08 वर्ष से अधिक समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं एवं ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति हैं। आहत के मार्मिक अंग पर कोई गंभीर चोट कारित नहीं हुई है तथा धारदार हथियार से भी कोई चोट कारित नहीं हुई है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाए और उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाए।

48– इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण को आहत कजोड़ीलाल के साथ मारपीट करने के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। अतः अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

49– उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

50– अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने और परिवीक्षा का लाभ नहीं लेने बाबत शपथ पत्र भी पेश किये गये हैं। अभियुक्तगण लगभग 08 वर्षों से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। आहत कजोड़ीलाल के मार्मिक अंग पर कोई गंभीर चोट कारित होना अथवा धारदार हथियार से चोट कारित होना प्रकट नहीं हो रहा है। आहत के कारित सभी चार चोटें कुंद हथियार से कारित होना पायी गयी है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

51– परिणामतः अभियुक्तगण **1. शंकर उर्फ शंकरलाल पुत्र अमरलाल, उम्र–40 साल, निवासी–दीवाली, पुलिस थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.), 2. दिनेश कुमार पुत्र अमरलाल, उम्र–38 साल, निवासी–दीवाली, पुलिस थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.), 3. भरत उर्फ भरतराज पुत्र अमरलाल, उम्र–30 साल, निवासी–दीवाली, पुलिस थाना–अटरू, जिला–बारां (राज.)** को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप के लिए तुरंत कारावास की सजा से दण्डित करने की बजाए **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4** का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त **पच्चीस हजार–पच्चीस हजार रूपये** का बंधपत्र व इसी राशि की **एक–एक जमानत दो वर्ष** की अवधि के लिए इस आशय की पेश कर तस्दीक कराए कि उक्त अवधि में वे शांति एवं सद्व्यवहार बनाए रखेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्ड भुगतेंगे तो उन्हें परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

52– साथ ही **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–5** के अन्तर्गत अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त अभियोजन व्यय के रूप में **5000–**

5000/–रुपये कुल 5000 X 3 = 15,000/–रुपये अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये न्यायालय में जमा कराएगा। अभियुक्तगण से प्राप्त उक्त सम्पूर्ण अभियोजन व्यय की **राशि 15,000/– में से 12,000/–रुपये आहत कजोड़ीलाल** को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन बतौर क्षतिपूर्ति राशि दी जावे।

53– चूंकि आहतगण को उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आहतगण को पृथक से कोई क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

54– अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा धारा–437 ए दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील होने की स्थिति में उपस्थित होने हेतु पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करवाए जा चुके हैं, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

55– प्रकरण में यदि कोई वजह सबूत व मालखाना हो तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे तथा अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जावे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

56– निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.13 12:52:46 IST